न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा

पीठासीन अधिकारीः— वर्षा मीना (आर0ए0एस0)
प्रकरण कमांक— 14/23
व. मु. उन.

1. गजेन्द्र सिंह पुत्र धनपाल जाति निषाद निवासी कांटरपुरा तहसील राजाखेडा
2. दीनदयाल पुत्र मुन्शीलाल जाति निषाद निवासी भजना की ठार कछियापुरा तहसील राजाखेडा

—————प्रार्थीगण

बनाम

1. निहाल सिंह पुत्र वंशीधर
2. देशराज पुत्र भोगीराम
3. विष्णु पुत्र देवीराम
4. रामचन्द्र पुत्र शिवचरन
5. किशुनदेवी पत्नि निरोतीलाल
6. जितेन्द्र सिंह
7. हाकिम सिंह
   पि0 निरोतीलाल
8. बृजेश देवी पत्नी राकेश
9. भागीरथ
10. सावेन्द्र
    पि0 रमेशचन्द
11. रमेशचंद पुत्र रामचरन

(क्रमांक 1 से 11) जाति निषाद निवासी कांटरपुरा तहसील राजाखेडा

12. तहसीलदार जी राजाखेडा व हैसियत लैण्ड होल्डर

————— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा —111 सपठित धारा 128 एल0आर0एक्ट 1956

उपस्थिति :—

1. श्री रविन्द्र सिंह चौहान अभिभाषक प्रार्थीगण

दिनांक :— 18.06.2025

निर्णय

प्रार्थीगणों की ओर से यह प्रार्थना पत्र इन तथ्यों के साथ पेश किया गया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ख0न0 1651/81 क्षे0 1.0117 है0 ग्राम कांटरपुरा तहसील राजाखेडा में स्थित है। उपरोक्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी काश्त एवं वास्ते कब्जे काश्त की है जिससे अप्रार्थीगण का किसी भी प्रकार से कोई संबंध सरोकार नहीं है और ना ही कभी रहा। प्रार्थीगण की खातेदारी के उत्तर दिशा में अप्रार्थीगण संख्या 06 लगायत 11 की खातेदारी आराजी ख0नं0 51 में स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी के पश्चिम में अप्रार्थीगण संख्या 01 निहाल सिंह की खातेदारी ख0नं 80 स्थित है तथा प्रार्थी की खातेदारी के दक्षिण दिशा में अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 03 की खातेदारी की आराजी ख0नं0 196 स्थित है। अप्रार्थी संख्या 06 लगायत 11 ने अपने खातेदारी की दक्षिण दिशा में मलकीयत राज्य सरकार की भूमि ख0नं0 52 गैर मुमकिन रास्ता को अपने खेत में अवैध रूप से बिना किसी आदेश अधिकार के अपने खेत ख0नं0 51 में मर्ज कर लिया है। इसके उपरांत में अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदार में भी गैर कानूनी रूप से अतिक्रमण करना चाहते हैं। इसी प्रकार प्रार्थीगण की खातेदारी के पश्चिम दिशा में स्थित अप्रार्थी संख्या 01 अपनी खातेदारी ख0नं0 80 की आड में अपनी सीमा को लांघ कर प्रार्थीगण की खातेदारी में घुसना चाह रहा है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 03 अपनी खातेदारी की आराजी ख0नं0 196 की आड में प्रार्थी की खातेदारी की आराजी पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहती हैं। अप्रार्थीगण बहुत ही झगडालू प्रकृति के लोग हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी की तीन सीमाएं उत्तर से दक्षिण एवं पूर्वी वाली सीमा में स्थापित मेढों को अवैध रूप से नष्ट कर प्रार्थी की खातेदारी की आराजी ख0नं0 1651/81 में जबरन अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 11 प्रार्थी के साथ हमेशा बाउन्ड्री डिस्पूट पैदा करते रहते हैं। जिससे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य फौजदारी की प्रबल आशंका बनी रहती है। इस बाउन्ड्री डिस्पूट को समाप्त करने के आशय से प्रार्थी द्वारा सीमा ज्ञान कराए जाने बाबत्

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेडा * जिला—धौलपुर (राज.) *

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

अप्रार्थी संख्या 12 के कार्यालय में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया जिस अप्रार्थी संख्या 12 द्वारा प्रार्थीगण की उक्त आराजी पर पैमाइस बाबत् आदेश भी जारी किए गए लेकिन कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई आज भी बाउन्ड्री डिस्पूट विद्यमान है। उपरोक्त स्थिति में प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी ख0नं0 1651/81 की चारों भुजाओं को सुरक्षित कराने के लिए सीमांकन कराकर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम करा पाने का अधिकारी एवं दावेदार है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य वर्तमान में विद्यमान बाउन्ड्री डिस्पूट को समाप्त करने के लिए नक्शा अक्श (मानचित्र) के अनुसार सीमांकन कराकर पुख्ता चिन्ह कायम किए जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। ताकि भविष्य में कभी पुनः बाउन्ड्री डिस्पूट पैदा नहीं हो एवं पक्षकारों में हमेशा सौहार्द बना रहे। अनावश्यक झगडे मुकदमेबाजी ना बडे। प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थीगणों द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ख0नं0 1651/81 की तीनों भुजाओं की सीमा रेखा निर्धारित कर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) प्रार्थीगण के स्वयं के खर्चे पर पुलिस बल की इमदाद में कराए जाने के आदेश अप्रार्थी संख्या 12 को प्रदान किए जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 12 तहसीलदार राजाखेडा से विवादित आराजी की वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्राप्त की गई। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 11 बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली में एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी ख0नं0 1651/81 की सभी भुजाओं की सीमा रेखा निर्धारित कर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) प्रार्थीगण के स्वयं के खर्चे पर पुलिस बल की इमदाद में कराए जाने के आदेश अप्रार्थी संख्या 12 को प्रदान किए जावें ।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गयी एव पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का मुख्य तर्क यह रहा है कि कई बार पैमाईश एवं सीमांकन के बाबजूद भी अप्रार्थीगण विवाद पैदा करते रहते है तथा तहसीलदार राजाखेडा द्वारा पूर्व में की गयी सीमाज्ञान को सही नही मानते है। तहसीलदार राजाखेडा से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के ख0नं0 1651/81 रकवा 1.0117 है0 किस्म वारानी सोयम की पैमाइस दो बार हो चुकी है। द्वितीय पैमाइस दिनांक 23.06.2023 को की गई थी। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट प्रार्थीगण ख.न. 1651/81 के अभिलिखित खातेदार है व स्वयं की आराजी के संरक्षण हेतु पत्थरगढी करा पाने के अधिकारी हैं। इसलिये विवाद को समाप्त करने लिये एवं उचित न्याय के लिये प्रार्थीगण का प्रार्थाना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट. स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थाना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट. स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राजाखेड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थी की खातेदारी आराजी ख0नं0 1651/81 बाके ग्राम कांटरपुरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर का मौके पर फसल सरसब्ज न होने की स्थिति में अनुभवी पटवारियो/गिरदावरों की टीम गठित कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करें। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है। जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सभलवाया जावे। यदि पुलिस जाप्ते की आवश्यकता हो तो थानाधिकारी से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार राजाखेड़ा को भिजवाई जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 18.06.2025 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं। निर्णय न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजाखेड़ा * जिला-धौलपुर (राज.) *

18/6/25

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

वर्षा मीना
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा